

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांक २०५/२०१२

/ 2018-19 दिनांक ३१.१.१९

सेवा में

प्रमुख,

गिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल, बिन्दकी, फतेहपुर।

आपके प्रार्थनापत्र दिनांक 14.1.2019 के क्रम में सूच्य है कि आपके विद्यालय की मान्यता इस कार्यालय के पत्र सं०-16764-50/2013-14 दिनांक 24.12.2013 द्वारा दी गयी थी जो दिनांक 30.11.2013 से 29.11.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम को प्री प्राइमरी से कक्षा-8 तक की दी गयी थी।

शासनादेश सं०-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक- 08 मई 2013 में प्राविधान है कि पथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी, इस अवधि में मान्यता की शर्तों के सम्बन्धन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सञ्ज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उपरोक्त विद्यालय की कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण स्वतः स्थायी मान लिया जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फतेहपुर।

CHILDREN PUBLIC SCHOOL,
BINDKI (FATEHPUR)

Principal
CHILDREN PUBLIC SCHOOL
BINDKI (FATEHPUR)